उत्तराखण्ड शासन

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (पं0) हरिद्वार

सूचना

15 मई, 2025 ई0

पत्रांक 142/त्रि0पंचा0/उप निर्वा0/2025–26–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, की अधिसूचना संख्या–501/रा0नि0आ0 अनु0–2/4402/2025 दिनांक 14.05.2025 के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायतों सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत के निर्वाचन का कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है। उक्त अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग, द्वारा जनपद के सम्बन्धित समस्त निर्वाचन क्षेत्रों में जिनमें निर्वाचन कराये जा रहे है, के सम्बन्धित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता सूचना जारी होने की तिथि दिनांक 15.05.2025 से दिनांक 31.05.2025 (मतगणना समाप्ति) तक प्रभावी की जाती है :–

स्थान–हरिद्वार

दिनांक 15.05.2025

कर्मेन्द्र सिंह,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0)
हरिद्वार।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 24–05–2025, भाग 3 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 जिलाधिकारी/284–23–06–2025–10 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।